

Accidents on Highways in Punjab

700. SHRI BHPINDER SINGH MANN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of accidents which took place on the highway between Amritsar and Delhi and other highways in Punjab during the last three years;

(b) the steps taken to check the recurrence of such accidents in future; and

(c) the amount of compensation earmarked for such accidents and in how many cases, the compensation has been paid?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) and (b) No record of highway wise accidents is maintained. Various steps are taken to check road accidents in general and not specific with reference to highways. These steps include enforcement of traffic rules, mobile patrolling and group checking at vulnerable points and action against drunken driving, reckless driving, overloading etc. Besides, the State Governments are impressed upon from time to time to strengthen their system of grant of driving licences.

(c) The compensation to road accident victims is awarded by the Motor Accident Claims Tribunals in terms of section 140, 161 and 163A, etc. These payments are obligatory and are payable by the owners of the vehicles/insurance companies.

फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना

701. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भंडारण, परिवहन, विपणन और प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण प्रतिवर्ष नष्ट होने वाले फलों तथा सब्जियों की कुल औसत मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने तथा फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए और फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग को एक कुटीर उद्योग के रूप में बढ़ावा देने के लिए किसी कार्य

योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) से (ग) सड़ जाने वाले और उपयोग में न लाए जाने वाले फलों के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है पर अनुमान है कि फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी और उत्पाद की क्षयशीलता के कारण कुछ फलों और सब्जियों की गुणवत्ता और मूल्य में लगभग 25-30% तक कमी होती है। परिरक्षण आदि के लिए फलों और सब्जियों की एक बड़ी मात्रा घरेलू और असंगठित क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है, इसलिए उपयोग में न लाई जाने वाली निवल मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होती। मंत्रालय के अधीन फल एवं सब्जी निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कुटीर उद्योग क्षेत्र में कार्यरत प्रसंस्करणकर्ताओं समेत छोटे फल एवं सब्जी प्रसंस्करणकर्ताओं को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन किया जाता है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु भी सहायता दे रही है जिनमें ग्रामीण उद्यमियों को फल एवं सब्जी उत्पादों समेत खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें वैज्ञानिक तरीके से छोटे और कुटीर एककों की स्थापना और/या संचालन के लिए समर्थ बनाया और प्रोत्साहित किया जा सके। 8वीं योजना के दौरान, 250 ऐसे एककों को सहायता देने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र मौजूदा उद्यमियों का मार्ग दर्शन करेंगे। मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत मौजूदा खाद्य एककों के उन्नयन/आधुनिकीकरण और छोटे एककों के उत्पादों के विपणन के लिए भी सहायता उपलब्ध है। छोटे एककों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना और सरकार की दूसरी स्कीमों के तहत भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

Stem Measures in View of Subversive Activities By Pakistan

702. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Pakistan's Inter Services Intelligence (ISI) is believed to have changed its tactics of aiding ultras in Punjab in the wake of large scale seizures of arms, ammunition and narcotics by Indian Security Forces as reported in the "Hindustan Times" of 19th February, 1996;